न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

ठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
ठआई0 सं0 67/17
ैला दिनांक... 1-5-18.

1. रामपाल पुत्र छीतर
2. गंगादेवी पत्नि रामेदव पुत्री छीतर
3. दीनदयाल पुत्र हनुमान
4. मानादेवी पत्नि हनुमान पुत्री हनुमान
5. मनकूदेवी पत्नि हनुमान
6. कानाराम पुत्र भंवरलाल
7. भंवरलाल पुत्र काना
8. भूरीदेवी पत्नि काना पुत्री काना
9. सुजा पुत्र काना
10. जमना पत्नि भंवरलाल पुत्री काना
11. रामदयाल पुत्र काना
12. रतनीदेवी पत्नि गोपाल पुत्री काना
13. लाली पत्नि ओमप्रकाश पुत्री काना

समस्त जाति जाट नि0 तेज्या का बास तह0 फुलेरा जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रमोद माथुर पुत्र स्व0 पृथ्वीराज माथुर जाति माथुर नि0 618 सरदार मोटर्स के आगे सरदारपुरा तहसील व जिला जोधपुर
2. अशोक कुमार माथुर पुत्र स्व0 श्री पृथ्वीराज माथुर नि0 प्लाट सं0 457, 5 वी, ए0बी0रोड़ के बीच डॉक्टर खेत लाखनी का बंगला तहसील व जिला जोधपुर
. श्रीमती सुनिता माथुर पुत्री स्व0 श्री पृथ्वीराज माथुर पत्नि श्री संदीप माथुर नि0 ए–94 शास्त्रीनगर जोधपुर
. हनुमान पुत्र धन्नाराम जाति जाट नि0 तेज्या का बास तह0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0
. कानाराम पुत्र रामदेव जाति जाट नि0 तेज्या का बास तह0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0
. जगदीशप्रसाद पुत्र रतनलाल कुमावत जाति कुमावत नि0 ईरोलाव तह0 फुलेरा जिला जयपुर
. तहसीलदार सांभरलेक तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि ग्राम तेज्या का बास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में आराजी खं0नं0 1685 रकबा 5 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 1686 रकबा 4 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 1687 6 विस्वा, खं0नं0 1688 रकबा 18 विस्वा, खं0नं0 1689 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 1690 रकबा ग्रा, खं0नं0 1691 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 1692 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा किता 8 कुल रकबा 18 विस्वा है जिसमें प्रतिवादी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा है जो इस वाद में विवादग्रस्त है जिसे वाद विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादीगण स्व0 छीतर व काना जो कि सगे तथा लाला के पुत्र थे के वारिसासन है। वादी सं0 1 लगा0 6 स्व0 छीतर के वारिसान है तथा वादी नुमान की पुत्री शान्तिदेवी का पति है वादी सं0 8 लगा0 15 काना के उत्तराधिकारी व वारिस है। नुमान, शान्तिदेवी व काना का स्वर्गवास हो चुका है। विवादग्रस्त आराजी को वादीगण के बुजुर्ग काना अपने पिता के समय से बहैसियत काश्तकार काश्त करते आ रहे है व इनसे पूर्व में इसी से अर्थात् काश्तकार की हैसियत से उनके पिता लाला काश्त करता था वादीगण इस प्रकार से र्गों के समय अर्थात् पीढी दर पीढी से काश्त करते आ रहे है व लगान अदा करते आ रहे है। भूमि का मौके पर एक जाव बना हुआ है सम्पूर्ण विवादग्रस्त के चारों ओर खाम मिट्टी की डोल है विवादग्रस्त भूमि में ही वादीगण अपने पूर्वजों के समय से निवास करते आ रहे है पूर्व में उनके न थे तथा वर्तमान में वादीगण के पुख्ता मकान बने हुये है। वादीगण व उनके बुजुर्गो ने दो पुख्ता ाफी वर्षो पूर्व निर्मित किये है जिनमें विधुत कनेक्शन भी है जो पूर्व में काना/लाला के नाम था न में भंवर, सुजा, रामदयाल के नाम है वादीगण द्वारा निर्मित पुख्ता हौद भी बना हुआ है इन थ्यों से यह भली भांति प्रकट है कि वादीगण का कब्जा पुरातन है जो पीढ़ियो से चला आ रहा है। ं0 1 लगा0 3 का विवादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है न प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 अथवा ी परिवारजन द्वारा अथवा नौकर हाली द्वारा आजतक कभी विवादग्रस्त भूमि को काश्त किया दग्रस्त भूमि का पर्चा खातेदारी वादीगण के बुजुर्ग छीतर, काना के नाम आना चाहिए थे क्योकिं स्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व से व सेटलमेन्ट के पूर्व से बहैसियत काश्त करते आ रहे थे वादीगण के बुजुर्ग छीतर व काना अशिक्षित व ग्रामीण परिवेश के सीधे

Scanned by CamScanner

सेे व्यक्ति थे इसी स्थिति का लाभ उठाते हुये प्रतिवादी के परिवारजन पोपीनाथ, नन्दकिशोर व ालीराम ने सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलकर पर्चा खातेदारी स्वयं के नाम से जारी करवा लिया जिसकी ानकारी उन्हें नही मिली तथा वे पूर्व की भांति विवादग्रस्त भूमि को शान्तिपूर्वक काश्त करते रहे। वादीगण े अधिकारों व उनके कब्जे में आजतक किसी के द्वारा कभी कोई अवरोध उत्पन्न नही किया गया वर्तमान वादीगण विवादग्रस्त भूमि पर काबिज है तथा उनके द्वारा की गई काश्त बाजरा आदि मौके पर मौजूद । विवादग्रस्त भूमि मे काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक रूप से छीतर व काना को ातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है व इसी आधार वादीगण को भी वैधानिक रूप से इस प्रकार के अधिकार प्त हो चुके है जिनके बारे में घोषणा प्राप्त किये जाने का वादीगण को वैधानिक अधिकार प्राप्त है यह कि टलमेन्ट का पर्चा जारी होने के पश्चात विवादग्रस्त भूमि में नन्दकिशोर पुत्र बालाबक्स का 2/3 हिस्सा व थ्वीराज का 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया है। आज से लगभग 35-40 वर्ष पूर्व नंदकिशोर द्वारा छीतर व ना पुत्र लाला के हकों को स्वीकार करते हुये स्वयं के 2/3 हिस्से की खातेदारी उनके नाम दर्ज करा गई परन्तु पृथ्वीराज को कोई जानकारी न होने के कारण से उसके नाम दर्ज हिस्से की खातेदारी दर्ज ी हो सकी। चूंकि छीतर व काना के कब्जे व हिस्से में आजतक वादीगण के अधिकारों व हिस्से में कभी सी ने कोई रूकावट व बाधा उत्पन्न नही की अतः वादीगण ने किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने की वश्यकता प्रतीत नही की। वादीगण शान्तिपूर्वक विवादग्रस्त भूमि में जो 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 ाा0 3 के पिता पृथ्वीराज के नाम था जो वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के नाम से है पर काबिज े आ रहे है व काश्त करते आ रहे है वादीगण को इस सम्बन्ध में वैधानिक रूप से खातेदारी अधिकार ो हो चुके है। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 व उनके परिवारजन न तो आजतक कभी सांभर में रहा न का कब्जा है ओर न उसका कोई अता पता है परन्तु आज के समय में जमीनों की कीमतों में आई तेजी कारण से जमीनों की खरीद फरोख्त में लिप्त व्यक्तियों से मिलकर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 ने अपने को पृथ्वीराज का वारिसान बताते हुये अवैध रूप से नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया तथा उक्त ान्तकरण के आधार पर बिना किसी कब्जें व बिना किसी वैधानिक अधिकार के प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 दिनांक 12.09.14 को बेचान कर दिया है तथा उक्त अवैध बेचान पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं0 4 ा0 6 अवैधानिक रूप से नामान्तकरण अपने नाम करवाने पर आमादा है तथा वादग्रस्त आराजी पर रन कब्जा करने की चेष्टा में है यदि ऐसा किये जाने में ऐसे व्यक्ति सफल हो गये तो वादीगण को इस र की असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी इसलिए प्रार्थीगण को ा प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का मान्य न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलब ा गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश किया गया उक्त जवाब में वाद पत्र के सभी तथ्यों अस्वीकार मानते हुए अपने अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि विवादग्रस्त आराजी खाता सं0 179 खं0नं0 1685, लगा0 1692 किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम तेज्या का बास में ादी सं0 1 लगा0 3 जो 1/3 हिस्सें के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है ओर उनके पूर्वजों से प्राप्त है ने अपने हिस्सें की आराजी जो जरिये नामान्तकरण सं0 928 दिनांक 09.09.14 के प्राप्त शुदा है क 12.09.14 को प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 को 12,11,000 रू0 में बेचान कर विधिवत् दस्तावेज बेचान सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के यहा पंजीयन कराया है ओर प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 सद्भावी क्रेतागण न्हें अपने नाम बेचान के आधार पर नामान्तकरण खातेदारी खुलाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विवादित जी से वादीगण या उनके बुजुर्ग छीतर, काना या उनके पिता के समय से कभी कोई कब्जा काश्त नहीं ओर जब पर्चा सेटलमेन्ट हिस्सेनुसार सं0 2011 मे जारी किया गया उसे वादीगण या उनके पूर्वजों ने चेलेन्ज नहीं किया उसके बाद फौती नामान्तकरण खुले उन्हें चेलेन्ज नहीं किये ऐसी स्थिति में ण कोई घोषणा पाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का कोई कब्जा काश्त कभी नहीं रहा न कोई ार रहा कथित बेचान के बाबत वादीगण को कोई आपति है तो सक्षम न्यायालय में चारा जोरी करनी बेचान के शून्यकरण का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नही है दावा वादी मियाद बाहर सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है।

वकील प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र आर्डर 26 नियम 9 का पेश किया जिसका वकील अप्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया। उक्त प्रा0पत्र पर बहस सुनी गयी। वादीगण द्वारा पेश प्रा0पत्र आर्डर 26 नियम 9 0 का प्रा0पत्र खारिज किया गया। राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 21.01.15 निगरानी स्वीकार की जाकर उभय पक्ष को सुना जाकर प्रा0पत्र 26 नियम 9 जा0दी0 की पुनः बहस सुनी था नायब तहसीलदार फुलेरा को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया। नायब तहसीलदार फुलेरा ोका रिपोर्ट पेश की गयी शामिल पत्रावली की गयी।

वकील वादीगण ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में लिखित बहस पेश की गयी तथा उनकी ओर से बहस भी की गयी।

वकील प्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश कर अपनी लिखित बहस में अंकित किया कि प्रार्थीगण ने वावत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया जिसमें प्रार्थना पत्र अस्थायी ा पेश की गयी जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम तेज्या का बास तह0 फुलेरा में वर्णित खं0नं0 1685 लगा0 1692 किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा जिसमें प्रतिवादी के नाम दर्ज

Scanned by CamScanner

3 हिस्सा है विवादग्रस्त आराजी को वादीगण के बुजुर्ग छीतर व काना अपने पिता के समय से
सियत काश्तकार काश्त करते आ रहे है व इनसे पूर्व मे इसी हैसियत से अर्थात् काश्तकार की हैसियत
उनके पिता लाला काश्त करता था वादीगण इस प्रकार से अपने बुजुर्गो के समय से अर्थात् पीढी दर
ो से काश्त करते आ रहे है व लगान अदा करते आ रहे है। विवादग्रस्त भूमि का मौके पर एक साथ
हुआ है सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि के चारो ओर खाम मिट्टी की डोल बनी हुई है विवादग्रस्त भूमि में ही
ीगण अपने पूर्वजों के समय से निवास करते आ रहे है पूर्व में उनके खाम मकान थे तथा वर्तमान में
ीगण के पुख्ता मकान बने हुये है वादीगण व उनके बुजुर्गो ने दो पुख्ता कुएं भी काफी वर्षो पूर्व निर्मित
ि है जिनमें विद्युत कनेक्शन भी है जो पूर्व में काना/लाला के नाम था तथा वर्तमान में बदर, सुखा,
दयाल के नाम है वादीगण द्वारा निर्मित पुख्ता हौद भी बना हुआ है। विवादग्रस्त भूमि का पर्चा खातेदारी
ीगण के बुजुर्ग छीतर, काना के नाम आना चाहिए थे क्योकि वे ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के
वशील होने के पूर्व से सेटलमेन्ट के पूर्व से बहैसियत काश्तकार काश्त करते आ रहे थे। सेटलमेन्ट का
जारी होने के पश्चात् विवादग्रस्त भूमि में नंदकिशोर पुत्र बालाबक्स का 2/3 हिस्सा व पृथ्वीराज का
3 हिस्सा दर्ज किया गया है। परन्तु पृथ्वीराज को कोई जानकारी न होने के कारण से उसके नाम दर्ज
सें की खातेदारी दर्ज नहीं हो सकी चूंकि छीतर व काना के कब्जे व हिस्से में आज तक वादीगण के
ेकारों व हिस्सों में कभी किसी ने कोई रूकावट व बाधा उत्पन्न नहीं की। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 व
के परिवार जन न तो आजतक कभी सांभर में रहा न उसका कब्जा है ओर न उसका कोई अता पता
परन्तु आज के समय में जमीनो की कीमतों में आई तेजी के कारण से जमीनो की खरीद फरोख्त में
त व्यक्तियों से मिलकर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 ने अपने आपको पृथ्वीराज का वारिसान बताते हुये
ध रूप से नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया तथा उक्त नामान्तकरण के आधार पर बिना किसी कब्जे व
किसी वैधानिक अधिकार के प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 को दिनांक 12.09.17 को बेचान कर दिया।
ी अवैध बेचान पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 अवैधानिक नामान्तकरण खुलवाने का आमादा
प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 मृतक पृथ्वीराज के वारिस बताते हुये अपने नाम गलत रूप से नामान्तकरण
वाया है तथा उक्त गलत खातेदारी के आधार पर बिना किसी वैधानिक अधिकार व बिना किसी कब्जे
विवादित आराजी का दिनांक 12.09.14 को जो विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 के नाम पंजीकृत
ाया है वह एक अवैध व शून्य दस्तावेज है जिसके आधार पर प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार
नहीं होते है इसलिए बेचान पत्र दिनांक 12.09.14 वादीगण के अधिकारों के विरूद्व बातिल व बेअसर
प्रा0पत्र के सम्बन्ध में यह भी देखा जाना आवश्यक है कि वाद पेश करने के दिन व उससे पूर्व किसका
ा था प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाब में यह कथन नहीं किया है कि विक्रय पत्र दिनांक 12.09.14 से
प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 अथवा उनके बुजुर्गो का कब्जा रहा हो ओर न ही उनके द्वारा यह कथन
ा गया कि पृथ्वीराज की ओर से विवादित आराजी को उनके किसी हाली, सिरी, नौकर आदि ने कोई
त की हो। खसरा गिरदावरी संवत् 2012 से कब्जा काश्त वादीगण तथा उनके बुजुर्गो का दिखाया हुआ
जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादीगण व उनके बुजुर्गो का कब्जा काश्त है तहसीलदार
रा के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 12.03.15 के अनुसार ही वादी के कथनानुसार 2 कुएं, पुख्ता
ान, बालाजी का मन्दिर, पानी का होद बना होना एवंम् मकान व कुएं विद्युत कनेक्शन लगा होना
ेखित किया है प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में इन तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया है ओर न ही
ने उक्त मकान, कुंए को अपना होना कथन किया है। वादीगण के द्वारा लगान की रसीदें, विद्युत बिल
करवानें की रसीदें भी पेश की है जो सन् 2001 के पूर्व के है विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में
वादी हनुमान द्वारा वादीगण के विरूद्व 107/116 जा0फौ0 के अन्तर्गत प्रा0पत्र पेश किया था जिसमें
अधिकारी ने भी विवादग्रस्त आराजी पर भी वादीगण का कब्जा होना माना है इसी प्रकार विवादित
ाजी के सम्बन्ध में धारा 145 जा0फौ0 के अन्तर्गत थानाधिकार सांभरलेक के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय
थ पत्र पेश किया गया था जिसमें सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि वादीगण का कब्जा माना है तथा धारा 145
फौ0 एवं धारा 107/116 जा0फौ0 में प्रतिवादी हनुमान, कानाराम आदि के द्वारा दिये गये बयानों में
ादित आराजी पर वादीगण का कब्जा होना जाहिर किया है। इसी प्रकार प्रथम सूचना सं0 114/2016
प्रथम सूचना सं0 145/2015 में प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन में जांच अधिकारी ने विवादग्रस्त आराजी पर
ागण का पुराना कब्जा माना है। इस प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस,
धा का संतुलन, अपूरणीय क्षति वादीगण के पक्ष में है व वादीगण का प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार
ा जाकर प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण की ओर से उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तथ्य
त किये कि विवादग्रस्त आराजी से वादीगण के बुजुर्ग छीतर व काना का कोई सरोकार नहीं रहा न
ान में है ओर न ही वादीगण का रहा। विवादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पूर्वज
ारजन गोपीनाथ, नन्दकिशोर के नाम पर्चा कब्जें काश्त के अनुसार सही जारी किया गया था जिस
त वादीगण या उनके पूर्वजों ने पर्चा बाबत कोई ऐतराज नहीं किया न उक्त पर्चा खातेदारी अधिकारी
भी चेलेन्ज किया वादीगण का कथित आराजी से कोई सरोकार नहीं है। पर्चा सेटलमेन्ट पूर्व प्रतिवादी
1 लगा0 3 के पूर्वज काबिज काश्त थे जिनके नाम पर्चा खातेदारी कब्जें काश्त के आधार पर सही
किया गया जिसे वादीगण या उनके पूर्वज छीतर, काना ने कभी चेलेन्ज नहीं किया छीतर का व
ा का या उसके बाद वादीगण का कोई सरोकार नहीं रहा है। विवादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से के
दार काश्तकार थे ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 को दिनांक 12.09.14 को बेचान कर दी
पर प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 क्रयशुदा आराजी पर काबिज है। जो खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3
ाम अंकन की गयी पूर्ण वैधानिक है प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6
तेयशुदा प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 12.09.14 को बेचान कर विधिवत् दस्तावेज बेचानपत्र तहरीर कराकर
करा दिया है जिसके आधार पर नामान्तकरण खातेदारी खुलाने का प्रतिवादीगण सं0 4 लगा0 6
पूर्ण अधिकार नहीं है अगर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया तो उनकी सख्त इकतलफी होगी अपूर्ति

Scanned by CamScanner

होगी। वादीगण का कोई मुखालफाना कब्जा नहीं है वादीगण ने कभी पर्चा सेटलमेन्ट को चेलेन्ज
किया। प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 जो सद्भावी क्रेतागण है को अपने अधिकारों का उपयोग करने का
अधिकार प्राप्त है। अगर मिन प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया तो वादीगण बलपूर्वक कब्जा करने
चेष्टा करेंगे जिससे मिन प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 जो सद्भावी क्रेतागण है के अधिकारों का हनन
। जो नामान्तकरण प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के नाम नामान्तकरण सं0 928 दिनांक 9.09.14 को खोला
वह पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया के तहत दर्ज किया गया जिसे चेलेन्ज करने का वादीगण को कोई अधिकार
नहीं है और कथित खातेदारी के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 ने अपना हिस्सा दिनांक 12.09.
को प्रतिवादी स0 4 लगा0 6 को बेचान किया है पूर्णसद्भावी बेचान है। कथित बेचान की मौजूदगी में
गण को वाद लाने का अधिकार नहीं है वादीगण नामान्तकरण/बेचान बाबत आपति है तो सक्षम
ालय में विधिनुसार कार्यवाही करनी चाहिये। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 जो 1/3 हिस्सें के रिकोर्डेड
दार काश्तकार है और उनके पूर्वजों से प्राप्त शुदा है ने अपने हिस्सें की आराजी जो जरिये
न्तकरण सं0 928 दिनांक 09.09.14 के प्राप्त शुदा है दिनांक 12.09.14 को प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 को
1,000 रु0 में बेचान कर विधिवत दस्तावेज बेचान पत्र संबंधित पंजीयन अधिकारी के यहा पंजीयन
या है और प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 सद्भावी क्रेतागण है। वादीगण विलन हेण्ड से अदालत के समक्ष
आये है और वास्तविक तथ्य छिपाते हुये पर्चा सेटलमेन्ट के करीब 60 साल बाद उसे चेलेन्ज करते हुए
व प्रार्थना पत्र पेश की है जो मियाद बाहर है व खारिज योग्य है।

आराजी खं0नं0 1685 लगा0 1692 किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम तेज्या का
पूर्व ग्राम सांभर के सम्बन्ध में उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उक्त भूमि के अलावा अन्य
जीयात का पर्चा खातेदारी संवत् 2015 में गोपीनाथ पुत्र भोलानाथ, नन्दकिशोर पुत्र बाताबक्स व
राम पुत्र छोटेलाल के नाम खातेदारी का जारी हुआ था जिसकी वादीगण को भली प्रकार जानकारी है
गण के पिता/दादा स्व0 छीतर व काना पि0 लाला ने आराजी खं0नं0 1685 लगा0 1692 का 2/3
ा नन्दकिशोर पुत्र बाताबक्स से जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र खरीद किया था जिसके आधार पर
न्तकरण सं0 280 दिनांक 12.03.72 द्वारा छीतर व काना पि0 लाला के नाम उक्त भूमि का 2/3 हिस्सा
दारी में दर्ज हुआ तथा 1/3 हिस्सा पृथ्वीराज पुत्र दानाताबक्स के नाम खातेदारी में यथावत् चलता
जिसकी जानकारी उक्त भूमि छीतर, काना पि0 लाला द्वारा उक्त भूमि खरीद करने के दिन से सन्
2 से है तथा प्रार्थीगण पृथ्वीराज पुत्र दाताबक्स का सहखातेदार होने से संयुक्त कब्जा प्रार्थीगण व
राज का चला आ रहा था उक्त भूमि सम्वत् 2070-2073 में रामपाल पुत्र छीतर हि0 1/9, झमकू बेवा
र हि0 1/9, दीनदयाल पुत्र हनुमान हि0 1/9, भंवरलाल, सुजाराम, रामदयाल पि0 काना हि0 7/24,
ी पुत्री काना हि0 1/24 जाति जाट सा0देह0 के नाम व पृथ्वीराज पुत्र दाताबक्स हि0 1/3 सा0देह0
दारी मे दर्ज था। जिसका शुद्वि होने पर शुद्वि सं0 1 दिनांक 24.08.14 द्वारा पृथ्वीराज पुत्र दाताबक्स
जगह पृथ्वीराज पुत्र दानाबक्स खातेदारी में दर्ज हुआ। पृथ्वीराज की मृत्यु पर नामान्तकरण सं0 928
ंक 09.09.14 द्वारा उनके वारिसान के नाम उक्त भूमि के 1/3 हिस्सें मे खातेदारी में दर्ज हुआ तथा
भूमि अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 12.09.14 द्वारा प्रतिवादी सं0 4
0 6 को बराबर हिस्सें में विक्रय की गयी तथा रजिस्टर्ड बेचान पत्र द्वारा अप्रार्थी सं0 4 लगा0 6 को
ा दिया गया। प्रार्थीगण ने अपने 2/3 हिस्से पर समय समय पर ऋण लिया है तथा अपने कृत्य व
ार से 1/3 हिस्सें पर स्व0 पृथ्वीराज व उसकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 का कब्जा व
त्व मानते रहे है तथा राजस्व रिकोर्ड 1/3 हिस्सा अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 का वर्तमान में दर्ज है
ोनें उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र अप्रार्थी सं0 4 लगा0 6 को विक्रय कर दी है अप्रार्थीगण का
भूमि के सम्पूर्ण भाग पर बहैसियत खातेदार कभी कोई कब्जा नहीं रहा है स्व0 छीतर व काना जो कि
गण के पूर्वज रहे है जिन्होंनें 2/3 हिस्सा उक्त भूमि के सहखातेदार नन्दकिशोर पुत्र बालाबक्स से
ये रजिस्टर्ड बेचान पत्र खरीद किया है तथा उक्त भूमि पर खरीद करते समय स्वत्व व कब्जा व
कार नन्दकिशोर का माना है जो कि पृथ्वीराज का कुटुम्बी व सहखातेदार था ऐसी स्थिति में एक बार
द्वारा विक्रेता का स्वत्व व अधिकार मानते हुए उक्त भूमि में 2/3 हिस्सें के अधिकार जरिये रजिस्टर्ड
न पत्र प्राप्त करने पर उक्त भूमि के स्वत्व व अधिकारों के सम्बन्ध में प्रार्थीगण कानूनन अस्पोप्ड है तथा
हखातेदार पृथ्वीराज व उसके वारिसान का व वर्तमान मे क्रेतागण अप्रार्थी सं0 4 लगा0 6 के स्वत्व व
कारों से इंकार नहीं कर सकते। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण भाग पर बहैसियत खातेदार या
ृषक कभी काबिज नहीं रहे है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि सहखातेदार के विरूद्व कब्जों के बारे मे
त कब्जें से विपरित कोई धारणा कायम नहीं की जा सकती प्रार्थीगण 2/3 हिस्सें के सहखातेदार है
प्रकार अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 1/3 हिस्सें के सहखातेदार थे जिन्होनें अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड
न पत्र अप्रार्थी सं0 4 लगा0 6 को विक्रय कर दिया है तथा जहा अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 काबिज थे
कब्जा अप्रार्थी सं0 4 लगा0 6 का करवा दिया है एक रिकोर्डेड सहखातेदार के विरूद्व अस्थायी
ाज्ञा पाने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं है
अप्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस है। अगर प्रार्थीगण उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ मे अप्रार्थी सं0
गा0 6 के हक में बेचान पत्र दिनांक 12.09.14 के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने से रोका गया तो वे
वैधिक अधिकारों से वंचित हो जायेंगे तथा अप्रार्थीगण के 1/3 हिस्सें पर प्रार्थीगण अवैध तरीके से
अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में नाजायज कब्जा कर लेंगे तथा अप्रार्थीगण को उनके कब्जे व खातेदारी
भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करेंगे, अनावश्यक झगड़ा फिसाद करेंगे जिससे अनावश्यक
में बाजी बढ़ेगी व कानूनी पेचिदगिया उत्पन्न हो जायेगी इसलिए सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के
में है तथा अप्रार्थीगण को अपूर्ति क्षति होने की संम्भावना है इस प्रकार उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के
मे न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये खसरा गिरदावरी संवत्
से 2029, रिपोर्ट मौका तहसीलदार दिनांक 12.03.15, रसीद लगान (ग्यारह), विधुत बिल (अठारह),

Scanned by CamScanner

ास्ता सरकार बनाम रामपाल अन्तर्गत धारा 107/116 जा0फौ0, इस्तगासा सरकार बनाम न अन्तर्गत धारा 107/116 जा0फौ0, नोटिस अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी, प्रथम सूचना सं0 /16 में प्रस्तुत एफआईआर, प्रथम सूचना सं0 146/15 में प्रस्तुत एफआईआर, फोटो मौके की किता 4 की है।

वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में निम्न कानूनी नजीरे पेश की है।

1. ए0आई0आर0 2005(एस0सी0) पेज नं0 104
2. आर0आर0डी0 1974 पेज नं0 475
3. आर0आर0डी0 1987 पेज नं0 558
4. आर0आर0डी0 1973 पेज नं0 617
5. आर0आर0डी0 1981 पेज नं0 144
6. आर0आर0डी0 1986 पेज नं0 634
7. आर0आर0डी0 1965 पेज नं0 120
8. आर0आर0डी0 1974 पेज नं0 209
9. आर0आर0डी0 1975 पेज नं0 543
10. आर0आर0टी0 2016-17 पेज नं0 167
11. आर0आर0डी0 1972 पेज नं0 250
12. आर0आर0डी0 1971 पेज नं0 32
13. आर0आर0डी0 2016 पेज नं0 513

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा0पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये पर्चा सेटलमेन्ट, कॉपी नकल फेसला राजस्व मण्डल राज0 अजमेर निगरानी टी0ए0 सं0 3253/015 दिनांक 01.07.15, कॉपी विक्रय पत्र दिनांक 12.09.14, फोटो कॉपी नामान्तकरण ग्राम तेज्या का बास, फोटो कॉपी न्दी, नकल नामान्तकरण, नकल पर्चा सेटलमेन्ट, निर्णय निगरानी दिनांक 27.08.14, फोटो कॉपी पारआम, फोटो कॉपी बेचान पत्र दिनांक 12.09.14 पेश की है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा0पत्र के समर्थन में निम्न कानूनी नजीरे पेश की है।

1. आर0आर0टी0 2013(1) पेज नं0 123
2. आर0आर0टी0 2011-12 पेज नं0 489
3. आर0आर0टी0 2011-12 पेज नं0 217
4. आर0वी0जे0 2004(11) पेज नं0 270
5. आर0आर0डी0 2011 पेज नं0 563
6. आर0वी0जे0 2005(12) पेज नं0 87
7. आर0आर0टी0 2012(2) पेज नं0 1439
8. आर0आर0टी0 2013(2) पेज नं0 1108
9. आर0वी0जे0 2004(11) पेज नं0 163
10. आर0आर0डी0 1981 पेज नं0 487
11. आर0आर0डी0 1984 पेज नं0 492
12. आर0आर0डी0 1991 पेज नं0 325
13. आर0आर0डी0 2001 पेज नं0 340
14. आर0आर0डी0 1985 पेज नं0 677
15. आर0आर0डी0 1983 पेज नं0 416
16. आर0आर0डी0 2012 पेज नं0 393
17. आर0आर0टी0 2014(1) पेज नं0 523
18. आर0आर0टी0 2011-12(सप्लीमेन्टरी) पेज नं0 192
19. आर0आर0टी0 2015(1) पेज नं0 633

बहस वकील पक्षकारान की सुनी गयी। पत्रावली व पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का र्वक अवलोकन किया गया। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन गया। वादीगण की ओर से यह वाद घोषणा खातेदारी के सम्बन्ध में पेश किया गया है तथा वादीगण ग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा सेटलमेन्ट के पूर्व से ही होना कथन करते हुए प्रस्तुत किया है साथ दीगण ने विवादग्रस्त आराजी पर अपने मकान व कुएं होना भी अंकित किया है वादीगण की ओर से खसरा गिरदावरी में वादीगण व उनके बुजुर्गो का कब्जा अंकित है एवंम् प्रतिवादी हनुमान द्वारा ण के विरूद्व प्रस्तुत आवेदन पत्र 107/116 जा0फौ0 व प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 114/16 व 15 में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट में वादीगण का कब्जा होना माना है एवंम् प्रतिवादी न द्वारा भी पुलिस में दिये गये बयानों में यह अंकित किया है कि वादीगण ने विवादित आराजी पर कब्जा कर रखा है धारा 145 जा0फौ0 के प्रकरण में भी वादीगण का कब्जा होना माना गया है। साथ ही प्रतिवादीगण ने वादीगण के तथ्यों का खण्डन करते हुए यह दलील दी है कि विवादग्रस्त

Scanned by CamScanner

राजी को प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.14 को खरीद की तथा खरीद दिनांक से ही प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 विवादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। पुलिस के ा जो बयान धारा 161 के तहत लिये गये है उनकी कोई अहमियत नहीं है पुलिस की जांच एक समरी व होती है वादीगण का कब्जा खसरा गिरदावरीयों में लगातार दर्ज नहीं है प्रतिवादीगण रिकोर्डेड तेदार है उभय पक्ष विवादग्रस्त आराजी पर अपना अपना कब्जा होना कथन कर रहे है कब्जें का बिन्दू ों पक्षों के द्वारा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने पर ही तैय किया जा सकता है जो वाद की कार्यवाही में दोनों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों द्वारा ही तैय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त आराजी यथास्थिति कायम रखने हेतु आदेश पारित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अतः प्रा0पत्र 212 रा0टी0ऐ0 का निस्तारण इस प्रकार से किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी के न्ध में उभय पक्ष मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें।

अतः आज दिनांक....1-5-18....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner